(2) समानता के उद्देश्य

करारोपण में समानता का अर्थ है योग्यता के अनुसार कर लगाना। समानता के दो पक्ष हैं—क्षैतिज समानता तथा ऊर्ध्व समानता। विकासशील देशों में समानता की समस्या की अवहेलना की जा सकती है। 1953-54 के भारतीय कर जांच आयोग ने स्पष्ट रूप से समानता के महत्व को स्वीकार किया। आयोग के शब्दों में, "हम समानता की समस्या को अब आर्थिक एवं सामाजिक शक्तियों की स्वचालित क्रिया पर छोड़ नहीं सकते। यह मांग कि करारोपण का उपयोग सामाजिक न्याय के अनुरूप आय के पुनर्वितरण के यन्त्र के रूप में किया जाना चाहिए, स्थगित नहीं की जा सकती है।"

समानता के उद्देश्य को पूरा करने वाली कर व्यवस्था प्रगतिशील होती है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि पुनर्वितरण करने वाला कर तथा आर्थिक विकास में मेल नहीं हो सकता। ऐसा कर प्रगतिशील होता है और प्रगतिशील कर निजी बचत एवं निवेश को हतोत्साहित करता है। ऐसे कर का प्रभाव काम करने की इच्छा पर भी प्रतिकूल ही पड़ता है। ऐसे कथन में अधिक दम नहीं है। निर्धन देशों का धनी वर्ग मितव्ययिता के लिए प्रसिद्ध नहीं। दूसरी ओर, पुनर्वितरण एवं विकास एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं। पुनर्वितरण के द्वारा अधिकांश लोगों की क्रयशक्ति बढ़ जायेगी और यह बढ़ती हुई क्रयशक्ति बाजार के क्षेत्र में विस्तार कर निजी विनियोग को प्रोत्साहित कर सकती है। निर्धनों की आय में वृद्धि होने पर मांग के ढांचे में भी परिवर्तन होता है क्योंकि इनकी मांग आयातित वस्तुओं की ओर न होकर घरेलू वस्तुओं की ओर होगी। अनिवार्य वस्तुओं की मांग के बढ़ने पर विकास सामग्रियों की मांग भी बढ़ेगी। इस प्रकार पुनर्वितरण विकास एवं रोजगार दोनों के लिए सहायक हो जाता है।

अल्प-विकसित देशों में कर आय के लिए परोक्ष करों पर अत्यधिक निर्भरता समानता के रास्ते में रुकावट बन सकती है, लेकिन परोक्ष करों को भी प्रगतिशील बनाया जा सकता है। इसके लिए विलासिताओं पर कर की दर ऊंची होती है, जबकि अनिवार्य वस्तुओं पर कम दर पर कर लगाया जाता है या उन्हें कर-मुक्त रखा जाता है। समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक और बाधा है, वह है कर अनुपात का कम होना।

(3) स्थिरता उद्देश्य

योजना की प्रक्रिया स्फीतिजनक होती है, अतः विकासशील देशों के लिए स्फीतिक दबाव को रोकना आवश्यक हो जाता है। भारतीय परोक्ष कर जांच समिति (1978) ने सिफारिश की कि मुद्रा-स्फीति के नियन्त्रण के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों के मिश्रण की आवश्यकता है। व्यापक प्रत्यक्ष कर समग्र मांग को नियन्त्रित करते हैं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता को प्रभावित किये बिना। परोक्ष कर विभिन्न वस्तुओं की मांग को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं; जिन वस्तुओं की पूर्ति कम रहती है उनकी मांग में कमी करते हैं। विकासशील देशों में निम्न कारणों से परोक्ष कर प्रत्यक्ष करों के पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं :

(क) प्रत्यक्ष कर जनसंख्या के अत्यन्त छोटे भाग पर लगाया जाता है;

(ख) कुछ खास वस्तुओं की कीमतें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि उनकी पूर्ति कम रहती है, इसलिए उनकी मांग बढ़ गयी है; और

Scanned with CamScanner

(ग) स्फीति काल में भी कुछ उद्योगों को मन्दी का सामना करना पड़ सकता है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यही कहा जायेगा कि विकासशील देशों में कर लगाते समय जिन बातों पर ध्यान देना एवं जिन सिद्धान्तों पर विचार करना पड़ता है वे विकसित देशों की तुलना में भिन्न हैं। इस अन्तर के दो प्रमुख कारण हैं। एक है विकासशील देशों के पृथक् लक्षण और दूसरा इन देशों में करों के अलग उद्देश्य।

Scanned with CamScanner